

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6307 /

जबलपुर, दिनांक 5/12/2018

(जमाकर)
श्री अशोक कुमार बाल्मीक, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रजिस्ट्री के नोटिस क्रमांक ए/3916 दिनांक 25.10.18 में दिये गये निर्देशानुसार बिना सूचना/आवेदन पत्र के दिनांक 25.08.18, दिनांक 31.08.18 से 01.09.18 तक तथा दिनांक 10.09.18 से 14.09.18 तक को अपने कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा अनुपस्थिति अवधि में कराये गये ईलाज से संबंधित चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उपरोक्त अनाधिकृत अवधि को अवैतनिक किया जाता है।

सही/-

(सतीश चन्द्र राय)

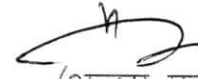
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/6308 /

जबलपुर, दिनांक 5/12/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री अशोक कुमार बाल्मीक, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अजय पवोर)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)